

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 489/2024

अनवान : -

1. राजबाला पुत्री दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

-वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 28/11/2024


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम विमला पुत्री दलिप दर्ज है जबकि मुताबिक पहचान दस्तावेजात वादीया का सही एवं वास्तविक नाम राजबाला पुत्री दलीप है। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सही नहीं होने के कारण वादीया के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। राजबाला पुत्री दलीप व विमला पुत्री दलीप एक ही महिला के नाम है। इसलिए वादीया मुताबिक दस्तावेजा अपना नाम विमला के स्थान पर राजबाला दुरुस्त करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीया का सही नाम व पता राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम विमला पुत्री दलिप दर्ज है जबकि मुताबिक पहचान दस्तावेजात वादीया का सही एवं वास्तविक नाम राजबाला पुत्री दलीप है। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सही नहीं होने के कारण वादीया के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। राजबाला पुत्री दलीप व विमला पुत्री दलीप एक ही महिला के नाम है। इसलिए वादीया मुताबिक दस्तावेजा अपना नाम विमला के स्थान पर राजबाला दुरुस्त करने के आदेश फरमावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि /9 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम विमला पुत्री दलिप है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात में वादीया का नाम राजबाला पुत्री दलिप है। वादीया के

① उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

नाम के संबंध में कृष्णा पत्नी दलिप द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम विमला पुत्री दलिप के स्थान पर विमला उर्फ राजबाला पुत्री दलिप के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच विमला पुत्री दलिप के नाम से हो या कोई देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम विमला पुत्री दलिप ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 489/2024

अनवान : -

1. राजबाला पुत्री दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

-वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।


- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 489 सन 2024 निर्णय दिनांक -06/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम विमला पुत्री दलिप के स्थान पर विमला उर्फ राजबाला पुत्री दलिप के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच विमला पुत्री दलिप के नाम से हो या कोई सरकारी संस्था का देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम विमला पुत्री दलिप ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर